तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
16/7/25	पत्राव[illegible] वादी / [illegible]वलियों [illegible] प्रतिवा[illegible] [illegible]करण [illegible] की अधि[illegible] पक्षी । में अग्रिम [illegible] 10/9/25 [illegible] पत्राव[illegible] को पेश [illegible]
10/9/25	पत्रावली पेश हुई । [illegible] वादी / [illegible]वलियों प्रतिवादी [illegible] / [illegible] प्रकरण की अधिवक्ता के [illegible] । में अग्रिम कार्यवाही [illegible] पत्रावली पूर्ववत दिनांक 10/11/25 को पेश हो ।
10/11/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत दिनांक 15.03.2017 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर कार्यवाही कर बहस नही की जा रही है। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी को प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा की आवश्यकता नही है। चूंकि प्रकरण दिनांक 15.03.2017 से न्यायालय से लम्बित हैं। वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किये जाने के उपरांत 8 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र मत में जबकि प्रार्थी स्वयं की रूचि स्थगन प्रार्थना पत्र में नही है हम उक्त प्रार्थना पत्र को निस्तारित किया जाना न्यायोचित पाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।